

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-CE/EE(SI&QC)/2010/D- 65

दिनांक: 25/11/10

अधीक्षण अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
वृत्त.....(समस्त)।

विषय-क्वालिटी कंट्रोल खंडों को प्रभावी बनाने बाबत।

महोदय,

माननीय मंत्री महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर ने एक अ.शा.टीप. का. निवास/रा.मं. सा.नि.वि./आर/2010/400 दिनांक 31.08.2010 को जारी किया था। इस अर्द्धशासकीय टीप के बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की पालना के लिये पहले ही आदेश आपको जारी किये जा चुके हैं।

बिन्दु संख्या 6 के अनुसार जो भी टेस्ट निर्धारित मापदण्डों के विपरीत पाया जाता है ऐसे टेस्टों की राशि निर्धारित राशि से दो गुनी कीमत संबंधित संवेदकों से वसूल की जावे। इस बिन्दु की भी पालना अपने स्तर पर कर, इस कार्यालय को सूचित करें।

संलग्न-अर्द्धशासकीय टीप संख्या 400 दिनांक 31.08.2010।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी एण्ड एम)
सा.नि.वि.राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि- अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., संभाग.....(समस्त)।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी एण्ड एम)
सा.नि.वि.राजस्थान, जयपुर